कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर ।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022 **दिनांक 04/08/2025**

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर
अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

कृपया पत्र संख्याः41/छः-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 03.08.2025** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना खानपुर पुलिस टीम द्वारा अन्तर्जनपदीय चोरों के गिरोह को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 03.08.2025 को उ0नि0 कमल भूषण राय चौकी प्रभारी सिधौना मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर खास सूचना की सूचना पर थाना क्षेत्रांतर्गत रामपुर एवं सिधौना में मिश्रान बस्ती में हुई चोरी की घटना को अन्जाम देने वाले चोरों को घोघवा पानी टंकी के पास से दबिश देकर गिरफ्तार किया गया । जिनके पास मौके से 01 इलेक्ट्रिक मोटर व 01 स्टार्टर जिसे उक्त चोरों द्वारा रामपुर में ही इण्टरलाकिंग ईट उद्योग प्लांट में घुसकर ताला तोडकर करीब 15 दिन पहले चोरी किया गया था जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 222/25 धारा 331(4)/305(क) बीएनएस पंजीकृत है तथा 01 अदद टीवी एलजी कम्पनी की, 01 अदद प्रिन्टर एचपी का जिसे जनपद वाराणसी में आगनबाडी केन्द्र, पंचायत भवन भटपुरवा कला थाना चोलापुर से उक्त चोरों द्वारा ही चोरी किया गया था जिसके सम्बन्ध में थाना चोलापुर कमिश्नरेट जनपद वाराणसी में मु0अ0सं0 315/25 धारा 331(4)/305(क) बीएनएस पंजीकृत है। एक लाल कलर की छोटी सर्राफा बैग जिसमें कुल 5320 रुपये नगद जिसे थाना क्षेत्र के ग्राम सिधौना के मिश्रान बस्ती चोरी किया गया था जिसके सम्बन्ध में थाना खानपुर जनपद गाजीपुर में मु0अ0सं0 118/25 धारा 331(4)/305(क) बीएनएस पंजीकृत है, बरामद हुआ है । गिरफ्तारशुदा अभियुक्तो के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. धर्मेन्द्र प्रजापति उर्फ कल्लू पुत्र रामबचन प्रजापति उम्र करीब 32 वर्ष
2. मगन गौड पुत्र स्व0 रामजनम गौड उम्र करीब 21 वर्ष
3. धुरेन्द्र हरिजन उर्फ छोटू पुत्र मूलचन्द्र हरिजन उम्र करीब 22 वर्ष

निवासीगण ग्राम रामपुर थाना खानपुर जनपद गाजीपुर

बरामदगी-

1. 01 अदद सफेद व स्लेटी रंग का प्रिन्टर एचपी कम्पनी का

2. 01 अदद काले रंग की TV LG कम्पनी का

3. 01 अदद इलेक्ट्रिक मोटर हरे रंग की

01 अदद सबमर्सिबल स्टार्टर क्रीम व स्लेटी कलर का MRK कम्पनी का

02. थाना खानपुर पुलिस द्वारा मु0अ0स0 186/25 धारा 109(1)/61(2)/351(3) बीएनएस से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 03.08.2025 को उ0नि0 रामबाबू सिंह मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर जियापुर पुलिया के करीब ग्राम भुजेहुंआ से मु0अ0सं0 186/25 धारा 109(1)/61(2)/351(3) बीएनएस से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त मनोज यादव पुत्र स्व0 भरत यादव को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पताः-

01. मनोज यादव पुत्र स्व0 भरत यादव निवासी ग्राम कुढ़ालम्बी थाना खानपुर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 37 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 186/2025 धारा 109(1),61(2),351(3) थाना खानपुर जनपद गाजीपुर

03. थाना नोनहरा पुलिस टीम द्वारा मु0अ0स0 56/24 धारा 363 ,366, 376 भादवि व 5J(2),5L/6 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 03.08.2025 को उ0नि0 श्री अजय कुमार यादव द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर मु0अ0स0 56/24 धारा 363 ,366, 376 भादवि व 5J(2),5L/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त करमचन्द कुमार पुत्र महिचन्द राम को शहबाजकुली स्टेशन के प्लेटफार्म नं0 01 से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. करमचन्द कुमार पुत्र महिचन्द राम निवासी ग्राम धर्माडीह थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर उम्र करीब 20 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 56/24 धारा 363 ,366, 376 भादवि व 5J(2),5L/6 पॉक्सो एक्ट थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर